



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1650 वर्ष 2026

सुग्रीव सिंह

.....याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मनीष कुमार पांडे
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद सिंह की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनका चयन और नियुक्ति 27.01.2017 को ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में हुई थी। याचिकाकर्ता जब संभल जिले के ब्लॉक-पावासा में ग्राम पंचायत अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तब तीसरे प्रतिवादी, जिला पंचायत राज अधिकारी, संभल ने 27.07.2019 को एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया। 19.08.2019 को एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने 20.08.2019 को अपना जवाब दिया और उसके बाद 11.09.2019 को निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया और 20.11.2019 को एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई और उन्हें आरोप पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया। जांच अधिकारी/पांचवें प्रतिवादी ने 06.12.2019 को आरोप पत्र तैयार किया। याचिकाकर्ता ने 09.12.2019 को अपना जवाब दाखिल करते हुए उक्त आरोपों का खंडन किया और उसके बाद 03.11.2020 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने 65,664 रुपये का गबन किया है। इसके बाद जांच अधिकारी/पांचवें प्रतिवादी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ब्लॉक संभल, जिला संभल ने जांच रिपोर्ट को अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3, जिला पंचायत राज अधिकारी, संभल के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने 19.11.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को 65,664 रुपये की राशि ग्राम निधि के खाते में जमा करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, कथित जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी और 19.11.2020 के आदेश के बाद 12.03.2021 को 65664 रुपये जमा करने का निर्देश जारी किया गया था और वसूली 5000 रुपये की 13 किस्तों और 5664 रुपये की 13 किस्तों में करने का निर्देश दिया गया था। 12.03.2021 से चार वर्ष बीत जाने के बाद, 15.01.2025 को तीसरे प्रतिवादी, जिला पंचायत राज अधिकारी, संभल ने याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता को 9800 रुपये की राशि भी जमा करनी होगी। याचिकाकर्ता ने 25.01.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
- दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.01.2025 के नोटिस के जवाब में प्रस्तुत उत्तर पर विचार किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. बार में प्रस्तुत दलीलों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी, संभल को यह निर्देश दिया जाता है कि वे 15.01.2025 की नोटिस में रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर 25.01.2025 को छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें।

5. वेतन और अन्य लाभों के भुगतान का प्रश्न भी इसी संदर्भ में तय किया जाएगा।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"